-1-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

रिव्यू 927-II-15

म.प्र. शासन द्वारा
प्रभारी अधिकारी तहसीलदार
निकेत चौरसिया तह. मालथौन
जिला – सागर

.......पुर्नवलोकनकर्ता

विरूद्ध

1. इमरत तनय देवजू हरिजन
निवासी – ग्राम – अटा टीला, तह. मालथौन, जिला – सागर (म.प्र.)

2. नारायण तनय मिहीलाल यादव
निवासी – ग्राम – अटा टीला, तह. मालथौन, जिला – सागर (म.प्र.)
(मृत) द्वारा वारसान (1) श्रीमती सावित्री पति नारायण यादव (2) महाराज तनय स्व. नारायण यादव दोनों निवासी ग्राम अटा टीला मालथौन जि. सागर

........उत्तरदातागण

ता. प्रस्तुति : 07/04/2015

पुर्नवलोकन अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

पुर्नवलोकनकर्ता शासन निम्न प्रार्थी है :-

माननीय सदस्य राजस्व मंडल द्वारा निगरानी प्रकरण आर. 4215/II/12 में पारित आदेश दिनांक 20/6/2013 को से परिवेदित होकर शासन हित में निम्न आधारों पर पुर्नवलोकन प्रस्तुत करते हैं।

संक्षिप्त तथ्य :-

म.प्र. शासन के पत्र क्र. एफ-16-18/2000/सात...-भोपाल, दिनांक 24/6/2000 के आधार पर शासन के सामाजिक न्याय अभियान के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि उत्तरदाता क्र. 1 को शासकीय भूमि पटटे पर उसे भूमिहीन होने के आधार पर अनुसूचित जाति के सदस्य होने के नाते उसके उचित पुर्नवास एवं भरण पोषण हेतु दी गई थी। परंतु उत्तरदाता क्र. 1 द्वारा पट्टे पर प्राप्त उक्त शासकीय भूमि स्थित ग्राम – अटा टीला खसरा नं. 300 नया नं. 632 रकवा 1.214 हेक्टेयर भूमि सक्षम अधिकारी से अनुमति लिये बिना उत्तरदाता क्र. 2 को बिना अधिकार जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 5/8/91 को विक्रय कर दी। उत्तरदाता क्र. 2 को वैधानिक रूप से उक्त भूमि का बैनामा भूमि का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं थी। अतः उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त विक्रय निरस्त किये जाने का आदेश प्रकरण क्र. 499/अ/23 वर्ष 2005-06 में अपर कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 23/2/08 को पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त सागर की उत्तरदातागणों द्वारा निगरानी प्र.क्र. 648-अ-23 वर्ष 11-12 दिनांक आदेश दिनांक 23/2/08 से लगभग 5 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी। माननीय अपर आयुक्त सागर द्वारा विलम्ब के आधार पर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. रिव्यू–927/दो/15..... **जिला** सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.6.16	1– आवेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित अनावेदक की ओर सुनील सींग जादौन उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए। 2– यह पुनर्विलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मंडल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक निग.4215/दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.06.13 के विरूद्ध के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। 3– प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बांदरी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर सागर द्वारा स्व. निग. में प्रकरण विचारण में लिया जाकर विवादित भूमि को शासन में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा निग़रानी अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 19.10.12 को अस्वीकार की गई उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी जो दिनांक 20.06.2013 को स्वीकार की गई है इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनविचार याचिका प्रस्तुत की गई है। 4– उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया इस प्रकरण में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए जाने के उपरांत 10 वर्ष पश्चात अंतरण किया गया है संहिता की धारा 165(7) के अनुसार कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण किया जाना प्रतिबंधित है किंतु भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए जाने के उपरांत पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय कर सकता है। न्यायिक दृष्टांत उल्लेखित करते हुए तथा स्वप्रेरण निगरानी के तहत कलेक्टर सागर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा प्रचलित कार्यवाही एवं आदेश को वैद्य न पाते हुए सम्पूर्ण निष्कर्ष उपरांत निगरानी दिनांक 20.6.13 को स्वीकार की गई है। जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। आवेदक की ओर ऐसा कोई ठोस आधार भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश में कोई वैद्यानिक त्रुटि की गई हो। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय के निग.क्र. 4215/दो—12 में पारित आदेश दिनांक 20—06—13 स्थिर रखते हुए यह पुनर्विलोकन निरस्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	